

भारत में अंगदान की कमी से जा रही लोगों की जान

अतिम फैसला तो जनता के हाथ में
सर्वोच्च अदालत ने लोक सभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफतारी के समय को लेकर प्रवर्तन नेशनल (ईडी) से सवाल किया और जांच एजेंसी से इसका जवाब आया। अदालत ने पांच सवाल पछे और उनके जवाब लेकर आने के नंदेश दिया। दो सदस्यीय बैच ने कहा कि स्वर्तनता बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकारी सवाल गिरफतारी के संबंध में है। न्यायिक कायवाही के बिना, जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में कार्यवाही कर सकते हैं। अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए कहा कि पक्ष और विपक्ष में निष्कर्ष हैं। हमें बताएं कि केजरीवाल का मामला कहां है। क्या हमत्वपूर्ण है? अधिकारी सवाल गिरफतारी के संबंध में है। न्यायिक कायवाही के बारे में योग्यता है, उसका पता लगाने के लिए मानक समान हों। केजरीवाल 21 अप्रैल से शाराब नीति घोटाले के मामले में न्यायिक हिरासत के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। केजरीवाल इस गिरफतारी से पहले इसी सार्वजनिक तौर पर कई मर्टबा दोहरा चुके थे मोदी सरकार द्वारा नोको सभा चुनाव के दौरान उड़े गिरफतार कर सकती है। दिल्ली सरकार के नेता पहले ही जेल में हैं। माना जा रहा है कि आम आदर्म मार्टी की लोकप्रियता विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बनती रही है। सत्ताधारी दल की यह जिम्मेदारी है कि वह अच्युतप्रकाश दलों के साथ पूर्वांग भरा बर्ताव करने से बचे। दंड प्रक्रिया संहित के अध्याय 5 में स्पष्ट प्रावधान है, कोई भी गिरफतारी इसके अधीन हर्ष गिरफतारियां हो रही हैं तथा नोटिस भी थमाए जा रहे हैं या छापे तक दाले जा रहे हैं। दरअसल, केजरीवाल की गिरफतारी की टाइमिंग नोकोतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं कही जा सकती बेशक न्यायिक व्यवस्था अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सार्वजनिक जीवन में उन्हें वाला कोई भी राजनीतिज्ञ यदि किसी तरह के घोटाले में शामिल हो तो उसे दंडित करने के लिए अदालतें हैं। अदालतोंपर पहले हाँ नाबित मामलों का दबाव है उस पर मोदी सरकार लगातार आरोपियों को भाजपा में शामिल कर उन्हें क्लीन चिट देने का काम कर स्पष्ट पक्तें दे रही हैं। यह अपने आप में गलत संदेश दे रहा है। बाबजूद इसके अंतिम फैसला तो जनता के हाथ में है, जो मूकदर्शक जरूर है। तो किन अपना निर्णय समय आने पर देगी।



डा सत्यवान सारभ
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

G

इंतजार कर रहे हैं और देश में दाताओं की संख्या में वृद्धि मांग के अनुरूप नहीं है; विशेषज्ञों का कहना है कि देश को तत्काल मुतक दान दर बढ़ाने की जरूरत है, और आईसीयू डॉक्टरों और परिवारों के बीच इस बारे में अधिक जागरूकता होनी चाहिए कि कैसे एक मृतक दानकर्ता कई जिंदगियां बचा सकता है। तीन लाख से अधिक रोगियों की प्रतीक्षा सूची और अंग के इंतजार में हर दिन कम से कम 20 लोगों की मृत्यु के साथ, भारत में अंग दान की कमी, विशेष रूप से मुतक दान, भारी नुकसान उठा रही है। भारत में मुतक अंगदान की दर पिछले एक दशक से प्रति दस लाख की आबादी पर एक दाता से कम रही है।

भारत को इसे प्रति मिलियन जनसंख्या पर 65 दान तक बढ़ाने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए, सर्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना होगा। देश में लगभग 600 मेडिकल कॉलेज और

तोड़ देते हैं। अग दान में मृत डोनर के अंगों- जैसे हृदय, यकृत (लिवर), मुट्ठे (किडनी), आतंे, आंखें, केफँडे और आन्याशय (पैनक्रियाज) को निकाल कर दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिसे जीवित रहने के लिए उनकी जरूरत है। एक मृत डोनर, जिसे कैडेकर भी कहा जाता है, इस तरह नौ लोगों की जान बचा सकता है। हालांकि हेल्थ प्रोफेशनल आमतौर पर अगदान के विषय पर मृतक के परिजनों से बात करने में अटपटा महसूस करते हैं। डॉक्टर मृतक के अंगों को दान देने के बारे में पूछने से कठतर हैं। कोई इस बारे में प्रोत्साहन भी नहीं है और बदले की कार्रवाई का डर भी रहता है। जनता अनिच्छुक और अविश्वासी है क्योंकि वे मस्तिष्क मृत्यु, अंग दान के बिचारा या इसके फायदों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। मृत्यु के बाद शरीर के बारे में सांस्कृतिक रीति-रिवाज सहमति में बाधा डाल सकते हैं, और कुछ धर्मिक मान्यताएं अंग

A close-up photograph of a person's hands holding a bright red heart. A white, wavy line representing an ECG or heart rhythm is drawn across the surface of the heart. The hands are positioned as if cradling the heart, with fingers gently gripping its sides.

जाती हैं, जिससे पैसे वाले लोगों के लिए इसकी संभावना अधिक हो जाती है। जीवनरक्षक प्रत्यारोपण प्राप्त करें। डायलिसिस और अन्य सहायक देखभाल उन कई संसाधनों में से हैं जिन पर अतिम चरण के अंग विफलता वाले रोगियों के प्रबंधन के कार्य द्वारा भारी कर लगाया जाता है। सभी बातों पर विचार करने पर, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निम्न अंगदान दरों से बहुत प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप टाली जा सकने वाली मौतें, अनैतिक व्यवहार और जीवन रक्षक देखभाल तक असमान पहुंच होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को अंग प्रत्यारोपण तक उचित पहुंच मिले, इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है जिसमें नैतिक विचार, कानूनी सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास और सावंजनिक शिक्षा शामिल है। एक मृत अंग दाता आठ लोगों की जान बचा सकता है। दान की गई दो उपचार से मुक्त कर सकती हैं।

दान किए गए एक लीवर को प्रतीक्षा सूची के दो रोगियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। दो दान किए गए फेफड़ों का मतलब है कि दो अन्य रोगियों को दूसरा मौका दिया गया है, और एक दान किए गए अग्न्याशय और दान किए गए हृदय का मतलब दो और रोगियों को जीवन का उपहार प्राप्त करना है। एक ऊतक दाता - कोई व्यक्ति जो हड्डी, टेन, उपस्थिति, संयोजी ऊतक, त्वचा, कार्निया, श्वेतपटल, और हृदय वाल्व और वाहिकाओं को दान कर सकता है। 75 लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। भारत में अग दान की प्रतिज्ञा को वास्तविक दान में तब्दील करने की जरूरत है और इसके लिए मेडिकल स्टाफ को शिक्षित करने की जरूरत है। उन्हें मरिट्या मृत्यु और अंग दान के महत्व के बारे में परिवारों को पहचानने, पहचानने, सूचित करने और परामर्श देने में सक्षम होना चाहिए।

ਲੁਧਿਆਪਤਾ ਪੈ ਬੜ੍ਹਦੇ ਤ੍ਰਕਾਣਾ ਪੁਣਿਆਪਾ ਵਿਨਾਂਕਾ ਅਖਿਆਤ ਵਿਤਨਾਵ

हाँ अनैतिक अभियान में वह वर्तमान चुनावी बेला में सार्वजनिक मंचों से जिन शब्दों व वाक्यों का इस्तेमाल कर रही है वह भारतीय राजनीति के इतिहास का अब तक का सबसे गिरा व निम्नस्तरीय चुनाव अभियान है। यह इस बात का भी परिचयाचार्य है कि अबकी बार चार सौ पार का हवाई नारा देने वाली भाजपा व इसके शीर्ष नेता समझ चुके हैं कि जनता अब उन विघ्टनकारी मंसूबों को समझ चुकी है। और 400 पार की बात तो दूर इस बार तो उनकी सत्ता में वापसी पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। गोरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अयोध्या स्थित विवादित मंदिर मस्जिद मुकदमे का निर्णय सुनाया गया। इसी फैसले में केंद्र सरकार से एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण करने को कहा गया। यहाँ यह भी काबिल-ए-गंद है कि मंदिर-मस्जिद अदालती वाद परिवाद में मुईँ के रूप में न तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था न विश्व हिन्दू परिषद् न भाजपा। परन्तु केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली एन डी ए सरकार होने के नाते बड़ी ही चतुराई से ट्रस्ट के गठन से लेकर मंदिर निर्माण व उद्घाटन तक के इस पूरे प्रकरण का भाजपा द्वारा निजीकरण कर लिया गया।



ନମ୍ରା ରାଜନୀତିକ ଟିପ୍ପଣୀକାର

TC

भगवान राम के नाम पर राजनीति कर स्वयं को स्थिति करने की कोशिश करती रही है। आखिरकार धार्मिक धूमीकरण व राम मंदिर की राजनीति ने उसे कंद्रीय सत्ता में आने में मदद की और यह भाजपा का लोकप्रिय मुद्दा बन गया। अब वही भाजपा इससे भी दो कदम आगे बढ़कर जहाँ सर्वव्यापी मयार्दा पुरुषोंमें भगवान राम को अपना निजी ह्यभगवानह समझने लगी है वहाँ अपने विरोधी दलों को राम विरोधी तो राम द्वारी आदि प्रचारित कर रही है। इसी दल की एक सांसद यहाँ तक कह चुकी है कि जो हमारे साथ हैं वह रामजादे हैं और जो खिलाफ हैं वह हमारा जादे हैं। इसके साथ ही स्वयं बहुसंख्यकवाद की राजनीति करने वाली यही भाजपा अपने विरोधी दलों को अल्पसंख्यक परस्त व मुरिलम तुशीकरण करने वाले दलों के रूप में पूरे जोर शोर से प्रचारित कर रही है। अपने इस ह्यअनैतिकह आयोग में वह वर्तमान ऊनाव बलाक में सार्वजनिक मंचों से जिन शब्दों व वाक्यों का इस्तेमाल कर रही है वह वर्तमान भारतीय राजनीति के वित्तास का अब तक का सबसे गिरा व निम्नस्तरीयता चुनाव अभियान है। यह इस काका भी परिचायक है कि अबकी बान चार सौ पार का हवाई नारा देने वाले भाजपा व इसके शीर्ष नेता समझ चुके हैं कि जनता अब उनके विघटनकारी मंसूबों को समझ चुकी है। और 400 पार की बात तो दूर इस बार तो उनके सत्ता में वापसी पर भी प्रश्न चिह्न लगाया चुका है। गैरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अयोध्या स्थित विवादित मंदिर मस्जिद मुकदमे का निर्णय सुनाया गया। इसी फैसले में केंद्र सरकार से एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर निरामण करने को कहा गया। यह यह भी काबिल-ए-गौर है कि मंदिर-मस्जिद अदालती वाद परिवार में मुद्दह के रूप में न तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ था न विश्व हिन्दू परिषद न ही

माजपा । परन्तु क्रिया के दृष्टव्य में भाजपा वाली एन डी ए सरकार होने वाली ही चुरुआई से ट्रस्ट के लेकर मंदिर निर्माण व उद्घाटन के इस पूरे प्रकरण का भाज निजीकरण कर लिया गया । १५ कि २२ जनवरी २०२४ को हृत उद्घाटन के दौरान इसके प्राप्ति के धर्मिक विधि विधान सभा तरीकों व समय को लेकर देश शंकराचार्य सहित तमाम संसदीय द्वारा इसका कितना ताकिंवाला किया गया । परन्तु उन सब की कर दी गयी । और मंदिर ट्रस्ट इसके उद्घाटन तक को पूर्णतः इवंति के रूप में पेश किया ग अब उसी अधार पर यह कह मांगा जा रहा है कि हाजी राम हैं हम उनको लाएंगे । देश के चारों शंकराचार्य ही नह हजारों वरिष्ठ संतों ने तथा विरोधी दलों ने यह बचूबढ़ लिया था कि ट्रस्ट गठन से

प्राणप्रतात्ता तक का पूरा कायोमद मूरा
तरह हारजानैतिक व अनैतिक है। इसी
लिये जहां शंकराचार्यों ने इस आयोजन
में शिरकत नहीं की वहाँ विपक्षी दलों
के नेताओं ने भी 22 जनवरी के इस
हारजानैतिक आयोजनहूँ से दूरी बनाये
रखी। इनाही नहीं बल्कि कई प्रमुख
केंद्रीय मंत्री व भाजपाई मुख्यमंत्री भी
अभी तक अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर
दर्शन करने नहीं गए हैं। परन्तु भाजपा
के निशाने पर केवल कांग्रेस व झिडिया
गठबंधन के नेता हैं। भाजपा इसे लेकर
ऐसे ऐसे दुष्प्रचार कर रही है ताकि वह
किसी तरह कांग्रेस व झिडिया गठबंधन
के अन्य दलों व उनके नेताओं
को राम विरोधी साबित कर सके।
अफसोस की बात तो यह है कि कल
के धर्मनिर्णयकावादी जो आज भगवा
रंग में रंग रहे हैं उनसे भी भाजपा यहीं
कहलावा रही है कि कांग्रेस राम विरोधी
है। और कांग्रेस अयोध्या मंदिर दर्शन
करने का विरोध करती है।

जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग
है। कांग्रेस का प्रवक्ष्य सुनिश्चालित
अयोध्या दर्शन करने जा चुकी हैं।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पूरी
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ राम
मंदिर जा चुके हैं। सारसदी पीपैद्र हुड़ा,
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश
बघेल जेसे तमाम कांग्रेस नेता 22
जनवरी के बाद अयोध्या जा चुके हैं।
परन्तु कांग्रेस आला कमान ने किसी
नेता से इस विषय पर कोई सवाल
नहीं किया। वर्योक कांग्रेस शुरू से
यही मानती आ रही है कि धर्म व धर्म
पालना किसी भी व्यक्ति का आस्था
सम्बन्धी अत्यंत निजी विषय है। इसकी
पालना करने या न करने का प्रत्येक
व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है।
कांग्रेस ने न तो कभी राम के नाम पर
वोट मांगा न ही राम के विरोध के नाम
पर। परन्तु दुष्प्रचार की इतेहा यह कि
नरेंद्र मोदी स्वयं यह कह रहे हैं कि
मैं द्वालोकसभा चुनाव में 400 सीट
इसलिए जीताना चाहता हूँ कि ताकि
कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी
ताला ना लगा दा। कांग्रेस का चला
तो कांग्रेस कहाँगी कि भारत में जीने
का पहला खंड भी उसके बोट बैंक
(मुसलमानों) का है। लेकिन जब तक
मोदी जिंदा है, नकर सेक्युरिटीज के
नाम पर भारत की पहलान मिटाने की
कोई भी कोशिश मोदी सफल नहीं
होने देगा, और ये हजारों वर्ष पुराने
भारत को, उसकी इस सरांगी की गारंटी
है। हल्ल देश के प्रधानमंत्री के मुंह से
निकला हुआ यह वाक्यविपक्षी दलों
के लिये कितनी कुंठांसे भरा व हताला
से परिपूर्ण प्रतीत होता है? आज देश
मंहगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
अमेरिकी डालर के मुकाबले भारतीय
मुद्रा में आ रही अभूतपूर्व गिरावट,
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, (पीएसयू)
के चंद निजी हाथों में सौंपे जाने जैसे
अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों से ज़्यूर रहा है।
परन्तु सरकार के पास इनका न तो
कोई जवाब है न ही इनके समाधान
को कोई नीति। 2019 का चुनाव इसी
मोदी सरकार ने मुफ्त राशन पाने वाले

से शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए कई स्तर पर शिक्षा प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। में 2011 की जनगणना के अनुसार के साथ साथ खेती के काम में भी पुरुषों गांव में 8वीं तक जो सरकारी विद्यालय गोजनांगा और पांच की गांव बच्चों के लिए अभी भी डमपरे देश में कहीं प्रेमो गांवीं कल मध्यमता की तर 19 परिवार में भी का हाथ लगती हैं गांव में एकली महल मजलिन हैं उनमें भी मरियादाओं का सेव

हाल ही -

मन्न ग्राम में तकरीबन् 10 किलोमीटर की दूरी पर जाना होता है। यहाँ एक स्कूल और एक बड़ा ग्राम है। यहाँ के लोगों की शिक्षा में कोई बद्धान न आये इसके लिए अनिवार्य और सुफर शिक्षा की व्यवस्था की गई, किताब-कॉर्पयां और स्कूल ड्रेस मुफ्त उपलब्ध कराये जाने लगा। सरकार की इस पहल का बहुत सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा। आजादी के बाद 1951 की पहली जननामा में जहां-देश में साक्षरता की कुल दर महज 18.33 प्रतिशत थी वहीं 60 वर्षों बाद 2011 में यह बढ़कर 74 प्रतिशत से अधिक हो गई। लेकिन इस सुखद अंकड़े के साथ सिक्के का एक दूसरा पहलू यह है कि अभी भी किसरियों विशेषकर दूर दराज करने के लिए अंकड़े के साथ जाना बनाये दर जोर दिया गया, यहाँ के बच्चों की शिक्षा में कोई बद्धान न आये इसके लिए अनिवार्य और सुफर शिक्षा की व्यवस्था की गई, किताब-कॉर्पयां और स्कूल ड्रेस मुफ्त उपलब्ध कराये जाने लगा। सरकार की इस पहल का बहुत सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा। आजादी के बाद 1951 की पहली जननामा में जहां-देश में साक्षरता की कुल दर महज 18.33 प्रतिशत थी वहीं 60 वर्षों बाद 2011 में यह बढ़कर 74 प्रतिशत से अधिक हो गई। लेकिन इस सुखद अंकड़े के साथ सिक्के का एक दूसरा पहलू यह है कि अभी भी किसरियों विशेषकर दूर दराज करने के लिए अंकड़े के साथ जाना बनाये दर जोर दिया गया, यहाँ के बच्चों की शिक्षा में कोई बद्धान न आये इसके लिए अनिवार्य और सुफर शिक्षा की व्यवस्था की गई, किताब-कॉर्पयां और स्कूल ड्रेस मुफ्त उपलब्ध कराये जाने लगा। सरकार की इस पहल का बहुत सकारात्मक परिणाम भी नजर आने लगा। आजादी के बाद 1951 की पहली जननामा में जहां-देश में साक्षरता की कुल दर महज 18.33 प्रतिशत थी वहीं 60 वर्षों बाद 2011 में यह बढ़कर 74 प्रतिशत से अधिक हो गई। लेकिन इस सुखद अंकड़े के साथ सिक्के का एक गांव राजस्थान के अलवर जिला स्थित शादीपुर है। जहां आज भी महिलाओं में साक्षरता की दर दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर सका है। इस गांव में बालिका शिक्षा के प्रति जहां समाज में उदासीनता है वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाएं भी दम तोड़ती नजर आती हैं। अलवर जिला से करीब 67 किमी और तिजारा तहसील से लगभग 20 किमी की दूरी पर आबाद इस गांव की जनसंख्या 300 के आसपास है। इसमें महिलाओं की जनसंख्या करीब जनों की जनसंख्या का 10% है। इस प्रायानन क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की साक्षरता दर बेहद कम है। जहां मुश्किल से लड़कियां 12वीं तक भी शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। ऐसा ही एक गांव राजस्थान के अलवर जिला स्थित शादीपुर है। जहां आज भी महिलाओं में साक्षरता की दर दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर सका है। इस गांव में बालिका शिक्षा के प्रति जहां समाज में उदासीनता है वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाएं भी दम तोड़ती नजर आती हैं। अलवर जिला से करीब 67 किमी और तिजारा तहसील से लगभग 20 किमी की दूरी पर आबाद इस गांव की जनसंख्या 300 के आसपास है। इसमें महिलाओं की जनसंख्या करीब जनों की जनसंख्या का 10% है। इस प्रायानन क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की साक्षरता की दर बेहद कम है। जहां मुश्किल से लड़कियां 12वीं तक भी शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। ऐसा ही एक गांव राजस्थान के अलवर जिला स्थित शादीपुर है। जहां आज भी महिलाओं में साक्षरता की दर दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर सका है। इस गांव में बालिका शिक्षा के प्रति जहां समाज में उदासीनता है वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की योजनाएं भी दम तोड़ती नजर आती हैं। अलवर जिला से करीब 67 किमी और तिजारा तहसील से लगभग 20 किमी की दूरी पर आबाद इस गांव की जनसंख्या 300 के आसपास है। इसमें महिलाओं की जनसंख्या करीब जनों की जनसंख्या का 10% है। इस प्रायानन क्षेत्र हैं जहां महिलाओं की साक्षरता की दर बेहद कम है। जहां मुश्किल से लड़कियां 12वीं तक भी शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं। ऐसा ही एक गांव राजस्थान के अलवर जिला स्थित शादीपुर है। जहां आज भी महिलाओं में साक्षरता की दर दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर सका है। इस गांव में बालिका शिक्षा की चिंताजनक स्थिति के बारे में 35 वर्षीय अब्जास बताते हैं कि गांव में केवल 8वीं तक ही स्कूल है। इससे आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों को 10 किमी दूर अन्य गांव में जाना पड़ेगा। लेकिन आवागमन की सुविधाओं का अभाव, लड़कियों के साथ होने वाले छेड़छाड़ का डर और बालिका शिक्षा के प्रति समाज की सीमित सोच के कारण अभिभावक लड़कियों को इन्हीं दूर घेरने से इकार कर देते हैं। जिससे चाह कर भी कोई लड़की 9वीं या 10वीं की शिक्षा प्राप्त करने से अभाव होता है। जब न तभी पाया सूझा का अभाव है, वृथानाध्यापक सहित केवल 4 शिक्षकों के भरोसे यह पूरा स्कूल चल रहा है। इसके अतिरिक्त स्कूल में न तो पीने के साफ पानी की व्यवस्था है और न ही छात्र-छात्राओं के लिए शैचालय की उचित व्यवस्था है। नाम नहीं बताने की शर्त पर एक छात्रा की मां बताती है कि उनकी बेटी कई बार स्कूल में सुविधाओं की कमी की शिकायत कर चुकी है। लेकिन वह अर्थिक रूप से इतनी सशक्त नहीं है कि अपनी बेटी का एडमिशन गांव से बाहर या किसी निजी शिक्षण संस्थान में कर सके। वह बताती है कि स्कूल में कोई महिला शिक्षिका के नहीं होने से लड़कियों को अक्सर माहवारी के दौरान

सकती है। ऐसी अवस्था में निश्चित रूप से अन्य पिछड़े वर्ग का हक्क नार कर ही कांग्रेस या आईएनडीआई के अन्य दल उहें आरक्षण टें सकते हैं। पश्चिम बंगाल से इसके संदर्भ में एक डराने वाला आंकड़ा आया है इस समय वहाँ 179 जातियां अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, जिनमें 118 मुस्लिम हैं और हिन्दू सिर्फ 61। मोदी सरकार ने जब कोई भी पिछड़े वर्ग की सूची में जातियों को शामिल करने का अधिकार देया। ममता बनर्जी ने 71 जातियां शामिल की जिनमें 65 मुस्लिम हैं। जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसका कारण पूछा तो बताया गया कि पिछड़े हिन्दुओं ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर लिया। जब यह पूछा गया कि कहाँ-कहाँ ऐसा हुआ तो उत्तर आया कि इसकी जानकारी नहीं है। सरकारों ने ऐसे नियम और ढांचे बना दिया जिनसे राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक सहित कई राज्यों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का ज्यादातर लाभ मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है। इसके आरक्षण का ज्यादातर लाभ मुस्लिम समुदाय को मिल रहा है।

